



2026:AHC:67251

इलाहाबाद उच्च न्यायालय

आवेदन धारा 528 बी.एन.एस.एस. के तहत सं - 6778 वर्ष 2026

डेविड @ देवित कुमार यादव आवेदक

बनाम

उत्तर प्रदेश राज्य और एक अन्य प्रतिपक्षी

आवेदक के अधिवक्ता: कुलदीप सिंह यादव

प्रतिपक्षी के अधिवक्ता: शासकीय अधिवक्ता

न्यायालय सं - 81

माननीय न्यायमूर्ति श्री चव्हाण प्रकाश

1. आवेदक के अधिवक्ता को सुना, राज्य के लिए अपर शासकीय अधिवक्ता और अभिलेखों का अवलोकन किया। प्रतिपक्षी संख्या-2 की ओर से कोई भी मौजूद नहीं है।
2. धारा 482 द०प्र०स० के तहत यह आवेदन आवेदक द्वारा निम्नलिखित प्रार्थना के साथ दायर किया गया है:

"इसलिए, यह अत्यंत सम्मानपूर्वक प्रार्थना की जाती है कि यह माननीय न्यायालय मुख्य न्यायिक मजिस्ट्रेट, कानपुर देहात की अदालत में लंबित आपराधिक मामला संख्या-16843 वर्ष 2022 (केस अपराध संख्या-532 वर्ष 2021 से उत्पन्न, राज्य बनाम बलराम और अन्य, धारा 323, 504, 506 भ०द०वि०, थाना-अकबरपुर, जिला कानपुर देहात (पहले रमा बाई नगर) की पूरी कार्यवाही के साथ-साथ दिनांक 20.08.2022 के आक्षेपित आरोप-पत्र और संज्ञान आदेश को रद्द करने की कृपा करे।

3. आवेदक के अधिवक्ता द्वारा यह प्रस्तुत किया जाता है कि आवेदक और प्रतिपक्षी संख्या-2 पड़ोसी हैं। पक्षों के बीच संपत्ति का विवाद चल रहा है। प्रतिपक्षी संख्या-2 के पति ने दीवानी सूट संख्या-892 वर्ष 2021, हामिद बनाम बलराम और अन्य दायर किए

अस्वीकरण: अनुवादित निर्णय वादी के समझने हेतु है और इसका किसी अन्य उद्देश्य के लिए प्रयोग नहीं किया जा सकता है। सभी कानूनी और सरकारी उद्देश्यों के लिए, निर्णय का मूल संस्करण ही मान्य होगा।



हैं, जो दीवानी न्यायाधीश (जूनियर डिवीजन)-V, कानपुर देहात के समक्ष लंबित हैं। इसके बाद, प्रतिपक्षी संख्या-2 के पति ने दूसरे सह-आरोपी व्यक्ति बलराम पर विवादित भूमि को अपने पक्ष में सौंपने के लिए दबाव बनाना शुरू कर दिया। इसके बाद, प्रतिपक्षी संख्या-2 ने पिछली दुश्मनी के आधार पर 17.07.2021 की घटना के संबंध में धारा 354A, 323, 504 और 506 भ०द०वि०, थाना-अकबरपुर, जिला कानपुर देहात के तहत केस अपराध संख्या-532 वर्ष 2021 के रूप में प्रथम सूचना रिपोर्ट दर्ज की। धारा 161 द०प्र०स० के तहत पहले सूचनाकर्ता का बयान प्राथमिकी के पंजीकरण के छह महीने बाद दर्ज किया गया था। अन्य गवाहों नूरजहां और परवीन बेगम के बयान धारा 161 द०प्र०स० के तहत दर्ज किए गए थे, जिसमें उन्होंने धारा 354 ए भ०द०वि० के तहत अपराध के बारे में कुछ नहीं कहा है। आगे यह कहा गया है कि घायलों की चिकित्सकीय जांच की गई लेकिन उनके शरीर पर कोई चोट नहीं पाई गई। विवेचनाधिकारी ने अभियोजन पक्ष के गवाहों के बयान दर्ज करने के बाद, आवेदक के खिलाफ धारा 323, 504 और 506 भ०द०वि० के तहत आरोप पत्र दायर किया। विद्वान मजिस्ट्रेट ने आवेदक आवेदक के खिलाफ संज्ञान लिया है जबकि आवेदक के खिलाफ प्रथम दृष्टया कोई मामला नहीं बनता है, इसलिए, समन आदेश के साथ-साथ उपरोक्त मामले की पूरी कार्यवाही को रद्द किया जा सकता है।

4. तत्स्य विपरीत, अपर शासकीय अधिवक्ता ने प्रस्तुत किया है कि प्राथमिकी में लगाए गए आरोपों के अवलोकन से, प्रतिपक्षी संख्या-2 और गवाहों के बयान और जांच के दौरान एकत्र की गई सामग्री के अवलोकन से, आवेदक के खिलाफ प्रथम दृष्टया अपराध स्पष्ट रूप से बनाया गया है और इस तरह, पूरी कार्यवाही को रद्द नहीं किया जा सकता है।

5. अभिलेखों के अनुसार, प्रतिपक्षी संख्या-2 ने दिनांक 17.07.2021 की घटना के संबंध में धारा 354A, 323, 504 और 506 भ०द०वि०, थाना-अकबरपुर, जिला कानपुर देहात के तहत केस अपराध संख्या-532 वर्ष 2021 के रूप में प्रथम सूचना रिपोर्ट दर्ज की। पहले सूचनाकर्ता के साथ-साथ अन्य गवाहों नूरजहां और परवीन बेगम के बयान धारा 161 द०प्र०स० के तहत दर्ज किए गए थे। पहले सूचनाकर्ता का बयान भी धारा 164 द०प्र०स० के तहत दर्ज किया गया था। विवेचनाधिकारी ने अभियोजन पक्ष के गवाहों के



बयान दर्ज करने के बाद, आवेदक के खिलाफ धारा 323, 504 और 506 भ०द०वि० के तहत आरोप पत्र दायर किया। इसके बाद, विद्वान मजिस्ट्रेट ने आवेदक के खिलाफ संज्ञान लिया है।

6. अभिलेखों पर मौजूद सामग्री के अवलोकन और इस स्तर पर मामले के तथ्यों को देखने से, यह नहीं कहा जा सकता है कि आवेदक के खिलाफ कोई अपराध नहीं किया गया है। बार में किए गए सभी प्रस्तुतीकरण तथ्य के विवादित प्रश्न से संबंधित हैं, जिस पर धारा 528बी.एन.एस.एस. के तहत प्रदत्त शक्ति का प्रयोग करते हुए इस न्यायालय द्वारा निर्णय नहीं दिया जा सकता है। इस स्तर पर केवल प्रथम दृष्टया मामले को आरपी कपूर बनाम पंजाब राज्य, ए.आई.आर. 1960 एस.सी. 866, हरियाणा राज्य बनाम भजन लाल, 1992 एस.सी.सी. (सी.आर.) 426, बिहार राज्य बनाम पी.पी.शर्मा, 1992 एस.सी.सी. (सी.आर.) 192 और अंत में इंडू फार्मास्युटिकल वर्क्स लिमिटेड बनाम मो. सरफुल हक और अन्य (प्रस्तर-10) 2005 एस.सी.सी. (सी.आर.) 283. इस स्तर पर अभियुक्त के विवादित बचाव पर विचार नहीं किया जा सकता है।

7. मामले के तथ्यों और परिस्थितियों को ध्यान में रखते हुए, मुझे उपरोक्त मामले को रद्द करने का कोई आधार नहीं मिलता है, इसलिए, इसे रद्द करने की प्रार्थना को अस्वीकार कर दिया जाता है।

8. तदनुसार, आवेदन **खारिज** किया जाता है।

मार्च 31, 2026

विजय

(न्यायमूर्ति चव्हाण प्रकाश)